न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 150/2016

1. सूरज पुत्र सखीलाल पुत्र धुनीराम जाति बावरी नाबालिग जरिये
2. वीरपालकौर पुत्री सखीलाल पुत्र धुनीराम कुदरती वली माता मीतो देवी पत्नी सुखीलाल पुत्र धुनीराम जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. मीतो देवी पत्नी सखीलाल पुत्र धुनीराम जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. धुनीराम पुत्र दीनाराम जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 08.08.2016

उपस्थितिः–

श्री बलकरणसिंह बराड अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल छाबडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री इकबालसिह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक** :– 28.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र धुनीराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करने का कथन किया कि वह चक 14 एस.डी.एस. के खाता सं. 40/36 प.नं. 38/131 मु.नं. 11 कि.नं. 25, प. नं. 38/132 मु.नं.16 के कि.नं. 1 से 25 की कुल 6.578है0

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि में से मौका पर अप्रार्थी अपने नाम दर्ज 2.193है0 में प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की 1.096है0 आराजी को रहन, बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करे।

अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी की निजी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 08.08.2016 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों व प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा बनता है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व अप्रार्थी ने भूमि का किसी प्रकार से बेचान आदि कर दिया जाता है तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रा.पत्र धारा 212 आर.टी. ए. स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. की स्वअर्जित सम्पत्ति है। स्वअर्जित सम्पत्ति में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं बनता। अधी. न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.ए के तीनों कारकों का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र खारिज किया है जबकि विवादित आराजी पारिवारिक

28/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सम्पत्ति होने से अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होने से अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलांट नाबालिग होकर रेस्पों. अपीलांट का दादा व ससुर है specific denial नहीं है। अतः अपीलांट की पुश्तैनी सम्पत्ति की रक्षा अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्भव है। साथ ही अधी. न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन Ingridients प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्ध विवेचित कर दो अन्य कारकों यथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलांट के विरूद्ध इसलिए विवेचित किये क्योंकि प्रथम दृष्टया कारक अपीलांट के विरूद्ध विवेचित हुआ है। विवेचन विधि विरूद्ध है क्योंकि न्याय दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 1953 पेज 416 मुसा बनाम बद्रीप्रसाद, आर. एल.डब्ल्यू. 1957 पेज 74 गोपीराम बनाम ठाकुर जी पेज 446 नारायणदास बनाम मौलाबक्श में यह held किया है कि A party who wants toa temperory injunction must satisfy all the grounds not only one or two of them. अतः प्रकरण हाजा में तीनों ही कारकों के आधार पर ही विवेचन करना चाहिए था जो नहीं किया है। अधी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले के बिन्दु के आधार पर ही बिन्दु सं. 2 व 3 का निर्णय कर दिया जबकि प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का आदेश दिनांक 08.08.2016 निरस्त किया जाता है एवं अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2016 वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम चरमारा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर